न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/20/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/169

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री शुभराम यादव पुत्र श्री रामचन्द्र यादव, ग्राम व पोस्ट–कारोड़ा, तहसील–बहरोड जिला–अलवर (राज.)–301020		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 11.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.05.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 27.01.2022 के माध्यम से पूर्व में प्रस्तुत शिकायत प्रा0पत्र दिनांकः 30.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही संबंधी सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 25.03.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः 928 दिनांकः 25.04.22 मय संलग्नक, जिसकी प्रति उपखण्ड अधिकारी, बहरोड एवं अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किए जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में अपीलार्थी को सूचना आवेदन पर विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी प्रकरण में आगामी कार्यवाही संबंधी जानकारी उपखण्ड अधिकारी, बहरोड को पृथक से सूचना आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त करे।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 10.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)